

**राजस्थान में पाली जिले के व्यक्तियों
द्वारा आयकर की प्रदायगी**

178. श्री कूल चन्द डागा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के पाली जिले में ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जो सरकार को आयकर देते हैं और गत वर्ष सरकार द्वारा उनमें कुल कितना राजस्व वसूल किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (1) राजस्थान के पाली जिले में आयकर देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
—3405

(2) 1969-70 में वसूल आय की रकम
—28,62,000 रु०

**सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकान किराया
रसीदें पेश किया जाना**

179. श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री कूल चन्द वर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नियमों के अनुसार 500 रुपये से कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान के किराये की रसीद पेश करने की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने विभागीय आदेश जारी किये हैं जिनके अनुसार 500 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मकान के किराये की रसीद पेश करने को कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि गृह कार्य मन्त्रालय के विभिन्न विभागों में 25 प्रतिशत मकान किराया तथा 500 रुपये प्रति

माह से कम वेतन पाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मकान किराये की रसीद पेश न करनी पड़े ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) महगाई वेतन सहित 620.00 रुपये तक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, वास्तव में दिये गये किराये अथवा आंशिक किराये की रकम का प्रमाण दिये बिना ही, कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करने पर, मकान किराया भत्ता पाने के हकदार है।

(ख) तथा (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

**अन्दमान प्रशासन द्वारा अध्यापकों
तथा प्राध्यापकों की पदोन्नति**

180. श्री हुंकर चन्द कछवाय : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान प्रशासन ने कुछ अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को प्रिसिपल मुख्य अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद पर पदोन्नति कर दिया है ;

(ख) क्या उनकी शैक्षिक अर्हताएं उक्त पदों के लिए निर्धारित अर्हताओं से कम है ;

(ग) क्या कुछ अध्यापकों तथा प्राध्यापकों को नियमों का उल्लंघन कर पदोन्नत किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्दमान प्रशासन को इस बारे में क्या निर्देश दिये जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) जी हां।

(ख) प्रधानाचार्य के पद के लिए न्यूनतम अनिवार्य अर्हता मास्टर की डिग्री सहित शिक्षा में डिग्री अथवा डिप्लोमा है। केन्द्रीय माध्यमिक